अंचल अधिकारी का न्यायालय ,तिसरी (गिरिडीह)

विविध वाद संख्या : 02/2020-21

राजु साव	–: बनाम :–	कारू रविदास

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
08-06-14	प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व उप–निरिक्षक के जांचोपरान्त प्रतिवेदन के आलोक में मौजा मोदिबिघा थाना नं0 65 के खाता नं0 03, प्लॉट नं0 213, रकवा 19 डी0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की भूमि को लेकर जारी विवाद की सुनवाई हेतु दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई। प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला के आधार पर प्राप्त भूमि पर लगान के भुगतान सहित दखलकार रहने का उल्लेख किया गया है। जबकि द्वितीय पक्ष द्वारा बजबरन कब्जा कराये जाने की बात कही गई है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि यह मामला भू–स्वामित्व का है। भू–स्वामित्व के मामले का निराकरण सक्षम दिवानी न्यायालय द्वारा किया जाना नियमानुसार उचित प्रतित होता है। अतः उक्त के आलोक में संबंधित पक्षों को भू–स्वामित्व के मामले का निराकरण सक्षम दिवानी न्यायालय से कराये जाने का परामर्श देते हुए प्रस्तुत मामले का निष्पादन किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **अंचल अधिकारी,** **तिसरी।** **अंचल अधिकारी,** **तिसरी**	

Digitally signed by Akhilesh Prasad
Date: 2024.06.09 17:35:16 +05:30
Location: 192.168.77.254